न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या 08/2024 | तारीख दायरा 09/02/2024 | तारीख फैसला 26/09/2025

1. रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
2. मथुरालाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
3. ब्रजमोहन पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
4. रामचरण पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
5. तेजमल पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
6. सुरेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
7. प्रेमबाई पत्नि नन्दकिशोर जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
8. भवानीशंकर पुत्र पन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
9. मांगीलाल पुत्र पन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
10 जनकूबाई पत्नि मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
11. रामदयाल पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
12. नेमीचन्द पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
13. साहबलाल पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
14. हरीप्रकाश पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
15. कन्याबाई पत्नि बद्रीलाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
16. रामस्वरुप पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
17. चन्द्रप्रकाश पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
18. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

1. वाद में वर्णित सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि बंदोबस्त संक्रिया सम्वत् 2041–2060 से पूर्व ग्राम किशनवास तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की जमाबन्दी सम्वत् 2034–2037 की खाता संख्या 27 मे वादीगण के पुर्वज जगन्नाथ वल्द गोमदा जाति मीणा निवासी किशनवास की खातेदारी में खसरा संख्या 6 रकबा छः बीघा कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है।

2. यह कि विवादित भूमि के बंदोबस्त संक्रिया सम्वत् 2041 के दौरान बंदोबस्त विभाग द्वारा विवादित भूमि तथा आस–पास की भूमि का मिलान क्षेत्रफल नही बनाया गया है। जबकि बंदोबस्त संक्रिया सम्वत् 2041–2060 से पूर्व के राजस्व नक्शे के अनुसार बंदोबस्त संक्रिया सम्वत् 2041–2060 के पश्चात् तैयार किये गये नवीन राजस्व नक्शे मे विवादित भूमि (खसरा संख्या 6 रकबा छः बीघा कृषि भूमि) वर्तमान खसरा संख्या 11 रकबा 5.71है. में अंकित कर दी गई तथा राजस्व अभिलेख मे सिवाय चक दर्ज कर दी गई है। जगन्नाथ वल्द गोमदा जाति मीणा निवासी किशनवास की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक प्रतिनिधी व उत्तराधिकारी केवल मात्र वादीगण हैं।

3. यह कि जगन्नाथ जीवनपर्यन्त विवादित भूमि पर काबिजकाश्त रहे है तथा उनके देहावसान के उपरान्त वादीगण विवादित भूमि गत खसरा संख्या 6 रकबा छः बीघा कृषि भूमि पर गत रकबे के अनुसार ही वर्तमान खसरा संख्या 11 रकबा 5.71है. मे

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

से 0.96है. भूमि पर खातेदार के रूप मे काविज काश्त होकर विवादित भूमि का लगातार उपयोग उपभोग करते हुए चले आ रहे है।

4. यह कि बंदोबस्त विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था कि वह त्रुटिपूर्ण एवम् अवैध तरीके से विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करे। अतः उपरवर्णितानूसार वादीगण को विधिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह माननीय सक्षम न्यायालय की सहायता से राजस्व अभिलेख में हुई उपरवर्णित त्रुटि को दुरस्त करवा कर ग्राम किशनवास तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की खसरा संख्या 11 रकबा 5.71है. मे से 0.96है. भूमि अनुसारतः स्वयं की खातेदारी मे दर्ज दर्ज करावें। तदर्थ श्रीमान की सेवा मे वाद पत्र प्रस्तुत है।

(अ). यह कि वादीगण को ग्राम किशनवास क्रीतलाव तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की खसरा संख्या 11 रकबा 5.71 है. मे से 0.96 है.भूमि का (जगन्नाथजी के वारिस हिस्सा अनुसारतः) खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे।

ब यह कि प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वबाधा उत्पन्न नहीं करें।

वादी की ओर से वाद श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन से की गई। दिनांक 02.06.2025 को जवाब सरकार प्राप्त शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

1. सेटलमेंट पूर्व संवत 2015 से 2024 की जमाबंदी में जगन्नाथ वल्द गोमदा कोम मीणा के खाते में खसरा सं0 6 रकबा 6 बीघा खसरा सं0 140 रकवा 5 बीघा 12 बिस्वा खसरा सं0 157 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। वर्तमान में खाता संख्या 38 कमलेश बाई के खाते में खसरा सं0 104 रकबा 0.21है0, खसरा सं0 85 रकबा 0.94है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.15है0 दर्ज रिकॉर्ड है। सेटलमेंट जमाबन्दी में भी उक्त खाता निम्न प्रकार दर्ज हुआ। खसरा सं0 85 रकबा 0.94है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.15है0। इस प्रकार सेटलमेंट पूर्व के खाते में कुल 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि का रकबा 1.89है0, दर्ज होना चाहिए था जो कि 1.15है0, दर्ज हुआ अर्थात 0.74है0 की कमी हुई मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

वर्तमान		गत	
ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा
85	0.94	140	
104	0.21	157	

इस प्रकार गत ख0नं0 6 का नवीन नम्बर नहीं बनाया गया है। आवेदन पर लिखा हुआ है प्रति सलंग्न है।

गत ख0नं0 6 का नक्शा नवीन नक्शे पर रखकर देख गया जिसमे ख0नं0 11 रकबा 5.71है0, जिसमें वर्तमान में 2 टुकडे हो गए ख0नं0 556/11 रकबा 3.72है0, ऐबरा डेम एवं 557/11 रकबा 1.99है0, गैर मुमकिन बेहड सिवायचक में शामिल होना पाया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के तथ्यो व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसील रिपोर्ट पर मनन व अवलोकन करने पर पाया कि वाद पत्र में एवं जवाब सरकार में बताया गया कि गत खसरा नं0 6 रकबा 6 बीघा का नवीन ख0नं0 11 रकबा 5.71है0, में शामिल होना बताया है जबकि हमने भी गत ख0नं0 6 के पत्रावली में शामिल नक्शे को वर्तमान नक्शे पर ओवरले कर जांच की तो पाया कि

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

गत ख0नं0 6 नये ख0नं0 4 व 11 पर बैठता है। जबकि तहसील की रिपोर्ट में गत ख0नं0 6 का वर्तमान ख0नं0 11 ही बताया गया है। वर्तमान ख0नं0 4 के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। तहसील की रिपोर्ट में पुराने ख0नं0 6 के खातेदारान की वर्तमान कब्जे काश्त बाबत कोई टिप्पणी नहीं की है। न ही पत्रावली पर कोई ऐसा साक्ष्य है जिससे यह साबित हो सके कि वादी ख0नं0 4 व 11 पर काबिज काश्त है यदि वादी वर्तमान ख0नं0 4 व 11 पर जो कि सिवायचक है पर कब्जा काश्त करता तब धारा 91 की कार्यवाही होनी चाहिए थी जो कि पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ना ही प्रतिवादी के जवाब में बताया है। रेकार्ड की वर्तमान स्थिति

ख0नं0	विभाजन के बाद बने ख0नं0	रकबा	खातेदार
4	558/4 559/4	4.98 4.34	जल संसाधन नवनेरा सिवायचक
11	556/11 557/11	3.72 1.99	जल संसाधन नवनेरा सिवायचक

तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में यह भी अंकन नहीं है कि आया वादी का कब्जा ख0नं0 11 व 4 में जल संसाधन नवनेरा डेम में है या सिवायचक में। यदि वादी का कब्जा ऐवराडेम में पाया जाता है या वादी का ख0नं0 6 वर्तमान में डेम के भराव क्षेत्र में आता है तब भी खातेदारी नहीं दी जा सकेगी।

अतः वादी द्वारा वाद सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
08 / 2024	09 / 02 / 2024	26 / 09 / 2025

1. रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
2. मथुरालाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
3. ब्रजमोहन पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
4. रामचरण पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
5. तेजमल पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
6. सुरेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
7. प्रेमबाई पत्नि नन्दकिशोर जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा

10. भवानीशंकर पुत्र पन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
11. मांगीलाल पुत्र पन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा

10 जनकूबाई पत्नि मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा

11. रामदयाल पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
12. नेमीचन्द पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
13. साहबलाल पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
14. हरीप्रकाश पुत्र मन्नालाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
15. कन्याबाई पत्नि बद्रीलाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
16. रामस्वरुप पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
17. चन्द्रप्रकाश पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा
18. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी किशनवास तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आर०टी०एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा वाद सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है। डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 26.09.2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)